(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3581/पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.07.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 605/2011-12/अपील.

---

1. अजमेर सिंह
2. भारत सिंह पुत्रगण विश्वनाथ सिंह
3. रतीबाई पत्नी नारायण सिंह
4. लोकेन्द्र सिंह
5. राकेश
6. संतोष पुत्रगण नारायण सिंह
   निवासी ग्राम चितावनी,
   तह. डबरा, जिला ग्वालियर
7. अनीता पुत्री नारायण सिंह
   पत्नी प्रीतम सिंह
   निवासी उषा कॉलोनी, डबरा ....आवेदकगण

विरूद्ध

1. बीरोबाई पत्नी नवलसिंह पुत्री सरजुबाई
   निवासी ग्राम सुखना खिरिया,
   तह. डबरा, जिला ग्वालियर
2. रतीबाई पत्नी नारायणसिंह
   निवासी ग्राम चितावनी,
   तह. डबरा, जिला ग्वालियर
3. ममता पुत्री नारायण सिंह पत्नी सुरेन्द्रसिंह
   निवासी मगरौल, तह. सबलगढ़,
   जिला मुरैना ....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी व मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषकगण, आवेदकगण

श्री आर.डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 3

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/6/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 13.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम चितावनी तहसील डबरा की भूमि सर्वे क्र. किता 10 रकबा 10.335 हैक्टेयर की भूमिस्वामी सरजूबाई द्वारा अपने भतीजों अजमेर सिंह, भारत सिंह एवं नारायणसिंह के हक में वसीयत की गई। इस वसीयत के आधार पर पारित नामांतरण आदेश के विरूद्ध सरजूबाई की पुत्री वीरोबाई के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण क्र. 19/1997-98 में पारित आदेश दिनांक 11.11.1998 के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण आवश्यक निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। इस प्रत्यावर्तन आदेश को अपर आयुक्त एवं राजस्व मण्डल द्वारा यथावत रखा गया। प्रकरण में तहसील न्यायालय द्वारा पुन: आदेश दिनांक 28.10.2010 के द्वारा उभय पक्ष के हक में समान भाग पर नामांतरण के आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अजमेरसिंह, भारत सिंह, नारायणसिंह एवं वसीयतकर्ता की पुत्री वीरोबाई के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 30.05.2012 को संयुक्त आदेश पारित करते हुये दोनों अपीलें अस्वीकार की गईं तथा प्रश्नाधीन भूमि पर मृतक भूमिस्वामी सरजूबाई के स्थान पर पुत्री वीरोबाई के हित में वारिसान के आधार पर नामांतरण स्वीकार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्र. 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13.07.2016 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) इस प्रकरण से संबंधित भूमि की अभिलिखित भूमि स्वामी सरजूबाई थी, आवेदकगण क्रमांक 1, 2 तथा आवेदक क्र. 3, 4 एवं 2, 3 के पूर्वाधिकारी नारायण सिंह के हित में सरजूबाई ने दिनांक 13.06.1985 को उक्त भूमि का वसीयतनामा सम्पादित कर उसका पंजीयन कराया था।

(2) सरजूबाई की मृत्यु होने पर वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया गया, अनावेदक क्रमांक 1 ने सरजूबाई की पुत्री होने के आधार पर नामांतरण चाहा वरिष्ठ न्यायालयों से अपील/निगरानी में प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के पश्चात् तहसील न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर दोनों पक्षों के नामांतरण का आदेश दिया, जिसे विवादित आदेश द्वारा यथावत रखने में अनुविभागीय अधिकारी ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

(3) मृत भूमिस्वामी सरजूबाई द्वारा दिनांक 13.06.1985 को निष्पादित पंजीयत वसीयतनामा साक्ष्य द्वारा पूर्णतः प्रमाणित एवं सिद्ध होते हुए वसीयत के आधार पर नामांतरण न करना विधि विपरीत है, भारत सिंह, जय हिंद, बालकृष्ण तथा शेष नाथ के कथनों से वसीयतनामा संदेह से परे प्रमाणित किया गया है।

(4) सरजूबाई द्वारा जिस भूमि का वसीयतनामा किया गया था वह उसकी स्वयं की सम्पत्ति थी, प्रकरण में आयी किसी भी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उक्त भूमि सरजूबाई को अपने पिता अथवा पति से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। अधीनस्थ न्यायालयों ने मनमानी व्याख्या कर जो निष्कर्ष इस बिंदु पर निकाले हैं, व स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। प्रदर्श पी-3 विक्रय पत्र को अनदेखा किया गया है।

(5) अनावेदक क्र. 1 द्वारा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डबरा जिला ग्वालियर के समक्ष व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त हो गया था। उक्त वाद में अनावेदक क्र. 1 ने वसीयतनामें को निरस्त करने की घोषणा चाही थी, व्यवहारवाद की प्रार्थना एवं उसके निराकरण को अनदेखा किया जाना भी न्याय प्रक्रिया के विपरीत है।

(6) अनावेदक क्र. 1 के स्वयं के कथन से यह प्रमाणित हो जाता है कि वह अपनी ससुराल ग्राम सुखना खिरिया में रहती है। सरजूबाई आवेदकगण के साथ ही रहती थी, आवेदकगण के हित में वसीयत निष्पादित करने की स्वाभाविक परिस्थितियां एवं कारण थे।

(7) आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में मूल पंजीकृत वसीयतनामा प्रस्तुत किया था, वसीयत में स्पष्टतः वर्णित है कि वसीयत ग्रहीतागण सरजूबाई के सगे भतीजे हैं, जिनके साथ वह रहती है, वसीयत मे यह भी स्पष्टतः वर्णित है कि अनावेदक क्र. 1 को वह अपनी भूमि क्यों नहीं देना चाहती है, इन तथ्यों के प्रकाश में वसीयत को शंकास्पद अथवा उत्तराधिकारी के हितों के विपरीत नहीं माना जा सकता। वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किया जाना न्याय संगत है।

(8) अपर आयुक्त के विवादित आदेश को मूल आधार वसीयतनामे के साक्षी जयसिंह पुत्र नौनेलाल का कथन है, जयसिंह के कथन का उल्लेख करते हुए अपर आयुक्त ने अपने आदेश के पद क्र. 7 में लिखा है कि ''वसीयत साक्षी जयसिंह द्वारा अपने कथनों में अवगत कराया है कि रजिस्ट्रार के समक्ष उसके द्वारा वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं।'' अपर आयुक्त ने साक्षी जयसिंह के कथन को पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया है तथा विपरीत निष्कर्ष निकाला है।

(9) वसीयत के साक्षी जयसिंह ने अपने मूल कथन में कहा है कि मेरे सामने सरजूबाई ने वसीयतनामा तीनों भाईयों के नाम किया था। वसीयतनामा प्रदर्श पी-4 है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर ए-टू-ए भाग पर हैं, उसने यह भी कहा है कि सरजूबाई ने निशानी अंगूठा किया था तथा सरजूबाई के चचेरे भाई पोहपसिंह ने भी बी-टू-बी भाग पर हस्ताक्षर किये थे। अपर आयुक्त ने साक्षी जयसिंह के कूट परीक्षण की जिस लाईन का उल्लेख किया है, उसमें जयसिंह ने कहा था कि प्रदर्श पी-4 पर रजिस्ट्रार के समक्ष पेज के पृष्ठ पर मेरे व पोहपसिंह के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी जयसिंह ने अपने सम्पूर्ण कथन में कहीं भी यह नहीं कहा है कि उसने रजिस्ट्रार के समक्ष वसीयत पर हस्ताक्षर नहीं किये थे।

(10) वसीयतनामे के दूसरा साक्षी पोहपसिंह अत्यंत वृद्ध 80 वर्ष का हो चुका था। इस कारण उसके पुत्र बालकिशन के कथन कराये गये थे, जिसमें उसने वसीयतनामे को देखकर अपने पिता पोहपसिंह के हस्ताक्षरों को पहचाना था।

(11) वसीयत के लेखक एवं टाईपकर्ता शेषनाथ के कथन भी आवेदकगण ने कराये थे, जिसमें शेषनाथ ने यह स्वीकार किया कि सरजूबाई का वसीयतनामा उन्होंने तैयार व टाईप किया था, अपर आयुक्त ने वसीयत को प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत की गई आवेदकगण की साक्ष्य

को अनदेखा कर विवादित आदेश पारित करने में अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है।

(12) अपर आयुक्त ने यह भी विचार नहीं किया कि अनावेदक क्र. 1 ने स्वयं अपनी ओर से क्या साक्ष्य प्रस्तुत की है। अनावेदिका क्र. 1 ने अपने कथन में स्वीकार किया था कि सरजूबाई आवेदकगण के साथ ही रहती थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसका व्यवहार वाद निरस्त हो जाने पर उसने कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका क्र. 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह मृतक भूमिस्वामी की पुत्री होकर प्रथम श्रेणी की वारिस है। विवादित भूमि सरजूबाई के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है। अनावेदक द्वारा फर्जी वसीयत तैयार की गई है। वसीयत विचारण न्यायालय में साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। वसीयत साक्षी जयसिंह द्वारा वसीयत पंजीकरण के समय हस्ताक्षर नहीं किये हैं। वसीयत का दूसरा साक्षी अत्यधिक वृद्ध होने के कारण उसके कथन नहीं लिये गये, बल्कि उसके लड़के के कथन लिये गये हैं। तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत सिद्ध नहीं होते हुए भी 1/2 भाग वसीयतगृहिता को दिया गया है। वसीयत प्रमाणित नहीं पाये जाने पर संपित्त वसीयतकर्ता के वारिसों को अंतरित होती है। अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा वसीयत साक्ष्य से प्रमाणित हुये बिना नामांतरण किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त कर अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया।

5/ अनावेदिका क्र. 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक रूप से तर्क प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया गया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन भूमि सरजूबाई के नाम थी। यह भूमि सरजूबाई की स्वअर्जित भूमि थी, इसकी पुष्टि में प्रकरण में सरजूबाई द्वारा भूमि क्रय करने का विक्रय पत्र पेश किया गया है। स्पष्ट है कि स्वअर्जित सम्पत्ति होने से सरजूबाई को उक्त भूमि वसीयत का अधिकार था। आवेदकगण ने पंजीकृत वसीयत पेश की है, जिसके दोनों गवाह जयसिंह तथा पोहपसिंह ने वसीयत

की पुष्टि की है। जयसिंह के दो बार बयान हुए, दोनों बार उसने वसीयत की पुष्टि की है। अपर आयुक्त ने वसीयत को गवाह के बयान के किस बिंदु के आधार पर संदेहास्पद माना है, यह स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार ने भी अपने आदेश में आधी सम्पत्ति वसीयत पर तथा आधी विरासत पर दी। उक्त आदेश का कोई आधार नहीं है। पाई गई उक्त पूरी सम्पत्ति स्वअर्जित थी, जिसकी पुरी की वसीयत की गई थी तथा वसीयत विधिवत प्रमाणित थी। अत: तहसीलदार को वसीयत के आधार पर आवेदक पक्ष का नामांतरण करना था। अनुविभागीय अधिकारी ने भी तहसीलदार के त्रुटिपूर्ण आदेश की पुष्टि की है। अपर आयुक्त ने तो पूरी भूमि वसीयत संदेहास्पद बताते हुए वारिसान हक में दे दी, जबकि वसीयत को संदेहास्पद मानने के कोई योग्य प्रमाण अभिलेख पर नहीं हैं। अत: तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2016, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2012 एवं तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.10.2010 निरस्त किये जाते हैं। निगरानी स्वीकार की जाकर वसीयत के आधार पर वसीयतकर्ता सरजूबाई के स्थान पर वसीयतग्रहिताओं अजमेरसिंह व भारतसिंह एवं नारायणसिंह के वारिसान के नाम नामांतरण करने के आदेश दिये जाते हैं।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर